राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,
परिवहन मार्ग, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांकः एफ4 याता./लेखा(58)/2021/1154 दिनांकः 05.05.2021

कार्यालय आदेश

देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.2(8) देव/2020 दिनांक 05.10.2020 के क्रम में मोक्ष कलश योजना 2020 हेतु इस कार्यालय से आदेश क्रमांक 916 दिनांक 07.10.2020 जारी किये गये थे। योजना के अनुसार एक बस में 23 मोक्ष कलश के साथ 46 यात्री निःशुल्क हरिद्वार हेतु आना–जाना अनुमत है एवं उक्त का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

उक्त योजना में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. धार्मिक आस्था के कारण मोक्ष कलश परिजनों द्वारा हरिद्वार ले जाने की स्थिति में हरिद्वार के लिये संचालित सभी नियमित द्रुतगामी बस सेवाओं में भी एक मोक्ष कलश के साथ दो यात्री निःशुल्क यात्रा हेतु अनुमत होंगे, पर योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त निगम की हरिद्वार सेवा उपलब्ध न होने की स्थिति में भी 23 मोक्ष कलश का पंजीयन पूर्ण होने पर संबंधित को योजनान्तर्गत पूर्ववत लाभान्वित किया जाता रहेगा।

इस योजना की पंजीयन प्रकिया एवं शर्तें पूर्व आदेश क्रमांक 916 दिनांक 07.10.2020 के अनुसार होगी।

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः एफ4 याता./लेखा(58)/2021/1154 दिनांकः 05.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
8. उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम, मु0जयपुर।
11. निगम सचिव/उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/टिकिट/ अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0 मु0 जयपुर।
12. कार्यकारी प्रबन्धक (जन संपर्क), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।
13. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
14. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,........................ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)